ISSN 2349-638x
Impact Factor 7.149

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
RESEARCH JOURNAL
PEER REVIEW & INDEXED JOURNAL
Email id : aiirjpramod@gmail.com
www.aiirjournal.com

SPECIAL ISSUE No. 100

हिंदी साहित्य में संवैधानिक मूल्य

मुख्य संपादक
प्रा. प्रमोद तांदले

अतिथि संपादक
डॉ.राम वाघ
प्राचार्य
कै.व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय, बाभळगाव

कार्यकारी संपादक
प्रो.डॉ.रणजीत जाधव
हिंदी विभागाध्यक्ष
कै.व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय, बाभळगाव

सह-संपादक
प्रा.डॉ.मा.ना.गायकवाड
हिंदी विभाग
कै.व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय, बाभळगाव

SPECIAL ISSUE PUBLISHED BY
AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
RESEARCH JOURNAL
Peer Review & Indexed Journal I Impact factor 7.149
Email id : aiirjpramod@gmail.com
www.aiirjournal.com
Mob.8999250451

No part of this Special Issue shall be copied, reproduced or transmitted in any form or any means, such as Printed material, CD – DVD / Audio / Video Cassettes or Electronic / Mechanical, including photo, copying, recording or by any information storage and retrieval system, at any portal, website etc.; Without prior permission.

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal

ISSN 2349-638x

Special Issue No.100

26 th Nov. 2021

Disclaimer

Research papers published in this Special Issue are the intellectual contribution done by the authors. Authors are solely responsible for their published work in this special Issue and the Editor of this special Issue are not responsible in any form.

संपादकीय

आजादी के अमृत महोत्सव एवं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादेमी तथा कै व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाभलगांव ता जि लातूर के संयुक्त तत्वावधान में 26 नवंबर 2021 को 'हिंदी साहित्य में संवैधानिक मूल्य' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर राज्य तथा देश के प्रमुख चिंतकों के शोधालेखों को आमंत्रित कर उसे प्रकाशित करना एक साहित्यिक उपलब्धि है।

समता, बंधुता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय हमारे प्रमुख संवैधानिक मूल्य है। इन संवैधानिक मूल्यों के लिए ही साहित्य का अधिकतर लेखन होता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक साहित्य में संवैधानिक मूल्यों पर विपुल मात्रा में लेखन हुआ है । भक्ति कालीन संत हो या आधुनिक कालीन लेखक और कवियों ने समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय का ही संदेश दिया है। संत नामदेव, कबीर, रैदास, तुलसीदास या आधुनिक कालीन लेखकों में जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद ,यशपाल, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा ,दिनकर एवं धूमिल के साहित्य में संवैधानिक मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई है। संवैधानिक मूल्यों को अंगीकृत करने से ही एक सुदृढ़, संपन्न एवं प्रगत समाज का निर्माण होगा। संविधान का मूल उद्देश्य जाति, वर्ण, वर्ग तथा शोषण रहित समाज की स्थापना करना है। संविधान की शुरुआत ही 'हम भारत के लोग' शब्दों से हुई है। इसमें सभी के लिए समान अधिकार हैं ना कोई छोटा है ना बड़ा। सब एक समान है। हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह महोत्सव मनाते समय हमें यह विचार करना चाहिए कि क्या हमारे देश में आज सही अर्थों में समता, बंधुता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय स्थापित है। इसका उत्तर है नहीं। आज भी हमारे देश में आर्थिक एवं धार्मिक विषमता एवं ऊंच-निचता की समस्या दिखाई देती है। आओ हम सब मिलकर एक सुदृढ़, संपन्न एवं बलशाली भारत निर्माण के लिए प्रयास करें।

धन्यवाद !

Sr. No.	Name of the Author	Title of Paper	Page No.
31.	डॉ. जयंत ज्ञानोबा बोबडे	हिंदी दलित साहित्य : मानव अधिकारों की पहल	116
32.	डॉ. सन्मुख नागनाथ मुच्छटे	दसवें दशक के हिंदी उपन्यासों में धार्मिक संकुचितता	122
33.	प्रा सौ. डॉ. विजया जगन्नाथ पिंजारी-शिंदे	फणीश्वरनाथ रेणु के कथासाहित्य में सामाजिक चेतना	126
34.	प्रा. डॉ. दत्तात्रय लक्ष्मण येडले	मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में संवैधानिक मूल्य	130
35.	पूनम यादव डॉ. अनिल ढवळे	रत्नकुमार सांभरिया की कहनियों में चित्रित - संवैधानिक मूल्य	135
36.	डॉ. हणमंत पवार	रैदास और समतामूलक समाज	139
37.	डॉ.वनिता बाबुराव कुलकर्णी	आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार	142
38.	प्रा.निर्मला लक्ष्मण जाधव	गिरिराज किशोर के उपन्यास में संवैधानिक मूल्य	147
39.	डॉ. शिवाजी नागोबा भदरगे	स्वातंत्र्योत्तर हिंदी दलित कविता में संवैधानिक मूल्यों की अभिव्यक्ति	151
40.	डॉ. विनोदकुमार विलासराव वायचळ 'वेदार्य'	मनीषा कुलश्रेष्ठ रचित उपन्यास 'शिगाफ' में चित्रित संवैधानिक मूल्य	154
41.	प्रा. के.एच. वाघमारे	श्यामनारायण पांडेय के काव्य में सांस्कृतिक तत्व	158
42.	डॉ.सचिन कदम प्रा.परमेश्वर माणिकराव वाकडे	स्वतंत्रता पूर्व हिंदी काव्य में संवैधानिक मूल्य	163
43.	प्रो. महेबूब मंगरूले	संवैधानिक मूल्यों से ओतप्रोत : भुवनेश्वर उपाध्याय की कविताएं	167
44.	प्रा.डॉ.जयराम श्री. सूर्यवंशी	समकालीन हिंदी ग़ज़ल और संवैधानिक मूल्य (विनय मिश्र का ग़ज़ल संग्रह 'सच और है' के विशेष संदर्भ में)	171

मनीषा कुलश्रेष्ठ रचित उपन्यास 'शिगाफ' में चित्रित संवैधानिक मूल्य

डॉ. विनोदकुमार विलासराव वायचळ 'वेदार्य'
अध्यक्ष हिंदी विभाग, व्यंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, उस्मानाबाद
शोध निर्देशक एवं, निमंत्रित सदस्य, हिंदी अध्ययन मंडल,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद

कश्मीर में हो चुके संवैधानिक मूल्यों के क्षरण को लेकर वहाँ के पंडितों के विस्थापन को लेकर मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने एक अनोखा उपन्यास लिखा है - 'शिगाफ' ! हम पहले लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ के बारे में थोड़ा-सा परिचय पाने का प्रयास करेंगे|

मनीषा कुलश्रेष्ठ जी के पिता का नाम सुमतेद्रुदयुम्न कुलश्रेष्ठ और माता का नाम सुधा कुलश्रेष्ठ है| मनीषा का जन्म राजस्थान के जोधपुर में दि. २६ अगस्त १९६७ में हुआ| आपका बचपन पाली जिले के एक छोटे से गाँव घाणेराव में बीता| आपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा चित्तौडगढ़ से प्राप्त की| आपने विज्ञान स्नातक उपाधि उदयपुर के मीराँ कन्या महाविद्यालय से प्राप्त की तथा सुखाडिया विश्वविद्यालय से हिंदी में एम्. ए. और एम्. फिल. की उपाधियाँ अर्जित की| आप कथ्थक नृत्य में विशारद भी हैं| आपने अंशकुमार कुलश्रेष्ठ जी से विवाह किया| आपके कनुप्रिया और अवनी नामक दो बेटियाँ है|

मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने तीन उपन्यास - शिगाफ (२०१०), शालभंजिका (२०१२) और पंचकन्या (२०१४) लिखे हैं| आपके पाँच कहानी संग्रहों में 'बौनी होती परछाई', 'कठपुतलियाँ', 'कुछ भी तो रूमानी नहीं', 'केयर ऑफ स्वात घाटी' और 'गन्धर्वगाथा' हैं|

आपने अनुवादक के रूप में 'माया एन्जलू की आत्मकथा', 'वाय केज्ड बर्ड सिंग' के अंश तथा लैटिन अमरीकी लेखक मामाडे के उपन्यास 'हाऊस मेड ऑफ़ डॉन' और बोर्हेस के कहानियों का अनुवाद किया है| आपने अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर हिंदी नेस्ट, हिंदी समय डॉट कॉम और संगमन डॉट कॉम जैसी वेब पत्रिकाओं की निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है|

मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके इस साहित्यिक योगदान के लिए चंद्रदेव शर्मा नवोदित प्रतिभा पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप, डॉ. घासीराम वर्मा सम्मान, रांगेय राघव पुरस्कार, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, गीतांजली इंडो-फ्रेंच लिटररी प्राइज, ज्यूरी अवार्ड, रज़ा फौंडेशन फेलोशिप आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है|

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका को संविधान का मूल ढाँचा माना है| इस प्रस्तावना में ही संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख किया है| जिनमे प्रभुत्व-सम्पन्नता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, बंधुता यह नौ प्रमुख संवैधानिक मूल्य हैं| वैसे सही मायने में देखा जाये तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है| यद्यपि संविधान के ४२ वें संशोधन (१९७६) के अनुसार मूल प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पन्थनिरपेक्ष' यह दो शब्द जोड़े गए| तथापि पर्याप्त वाद-विवाद के उपरांत इन शब्दों को भी आम लोगों ने स्वीकार किया है|

स्वतन्त्रता के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हम सभी बहुत आनंदित हो रहे हैं| इस बात में कोई किन्तु नहीं है| फिर भी क्या हमारा राष्ट्र प्रभुत्व सम्पन्न है? हमारी राजनैतिक व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था है? अपने इस स्वतंत्र राष्ट्र में सचमुच स्वतंत्र हैं? क्या हम सचमुच पंथ निरपेक्ष हैं? क्या भारत में सबकुछ लोकतंत्रात्मक रीति से होता है? क्या हम सचमुच गणतंत्रात्मा रीति से चुनाव सम्पन्न करते हैं? क्या भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है? क्या हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतन्त्रता है? क्या हमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त है? क्या हम में व्यक्ति की गरीमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ रही है?

आत्मवास्तवीकरण की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर 'नहीं' ही मिलेगा| संविधान बनाते समय ही धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन हो गया| हिन्दू बहुल भूभाग 'भारत' (हिन्दुस्तान) और मुस्लिम बहुल भूभाग 'पाकिस्तान' बन गया| पाकिस्तान को हमेशा से कश्मीर की चाह रही है| इस कारण आतंकवाद के जरिये कश्मीर के मूल निवासियों का विस्थापन होता रहा| कभी कम मात्रा में तो कभी अधिक मात्रा में!

हमारे विचार में हमारे संवैधानिक मूल्यों का सर्वाधिक हनन या क्षरण कश्मीर में हुआ है| जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० और ३५ (अ) के प्रावधान दि. १७ नवम्बर १९५२ से लागू हुए थे| ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर और यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएँ देते थे, जो देश के अन्य हिस्सों से अलग हैं| इतना ही नहीं कश्मीर वह प्रदेश है जिसमें भारत की संप्रभुता को सर्वाधिक खतरा रहा है| भारत के संविधान से अलग कश्मीर का संविधान रहा है, भारत के राष्ट्रध्वज से अलग कश्मीर का झंडा रहा है, इतना ही नहीं भारत के प्रधानमंत्री से अलग उनका वजीर रहा है| इस विरोधाभास के खिलाफ डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को 'एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे|' का नारा लगाते हुए सर्वोच्च बलिदान भी दिया| कश्मीर के मूल निवासी पंडितों को अपनी ही मातृभूमि को छोड़ कर भागना पडा| अंततः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान में संशोधन कर के ५ अगस्त २०१९ के दिन अनुच्छेद ३७० और ३५ (अ) को हटा दिया और अब कश्मीर की समस्या का कुछ अंशों में समाधान हो गया है|

इस परिचयात्मक विवरण के पश्चात हम मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास 'शिगाफ' पर विचार करेंगे| 'शिगाफ' शब्द का अर्थ है - 'दरार'! 'शिगाफ़' से तात्पर्य है, जो दरार कश्मीरियों की रूह में, दिल में स्थायी तौर से पड़ी है, जिसमें पंथनिरपेक्षता एक हद तक रिस चुकी है की इस शिगाफ के लिए प्रयत्नरत है| उपन्यास की नायिका अमिता पाश्चात्य देशों में रहकर भी भारत की धार्मिक समस्याओं को और धार्मिक आधार पर हुए विभाजन की समस्याओं को भली भाँति पहचानती है| जिसमें अमिता लिखती है - "मैं भारतीय हूँ| एक विस्थापित कश्मीरी हिन्दू परिवार से हूँ|" [१] इसीलिए भारत वापिस आने से पहले वह बहुत सोचती है कि, "एक ऐसा देश जहाँ धर्म और आस्था के नाम पर किसी को भी वरगलाया जा सकता है| फिलहाल मैं वहीं नौकरी करने की फ़िक्र में हूँ|" [२] अमिता की भटकावों तथा असमंजस भरी इस यात्रा में अद्भूत तरीके से समेटा है| आतंकावाद और विस्थापन का समाधान प्रस्तुत करने का छोटा-सा प्रयत्न है| उपन्यास का नायक जमान, जो एक पत्रकार है और जिसका लक्ष्य भी नायिका अमिता की तरह ही है| किन्तु दोनों दो विपरीत और विषम अतीत से उपजे जीवन मूल्यों को सहजते हुए कई बार आपस में टकराते हैं|

यास्मीन के पिता इस्लाम की बुरखा परम्परा का विरोध करते हुए कहते हैं - "कफ़न कैसा भी हो, लाश को क्या फ़र्क पड़ता है।" [३] कश्मीर के कालीनों का व्यवसाय बहुत प्रसिद्ध था पर दहशत के संकट के कारण यास्मीन के पिता कहते हैं - "कालीनों का कारखाना महीनों बंद पड़ा रहा है और उनकी बेटी को घर का वह हिस्सा बेचना पड़ा, जिसमें हम रहते थे।" [४]

यास्मिन वसीम को समझाते हुए कहती है - " तुम जानते हो...तुम्हें पहले भी समझाए हैं आज़ादी के मायने। मैं जड़ दिमाग हूँ, नहीं समझ पाती। इसे सुनकर मेरे हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं। मुझे ये खुली कब्रें महसूस होती हैं। क्या तुम 'आज़ाद कश्मीर' के नारे को तमाम दुनिया की दूसरी सच्चाइयों से ज्यादा तवज्जोह नहीं दे रहे?" [५] कश्मीर के अधिकतर युवा दहशतगर्द बनाकर या तो पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं या जो दहशतगर्द नहीं बने वे दहशतगर्दों के हाथों मारे गए हैं। घर में कामनेवाले सिर्फ बूढ़े ही बचे हैं। डॉ. जुबेर कहते हैं - "वहाँ बूढ़े ही अकेले कमाने वाले मर्द .... बचे हैं।" [६] अमिता मिलिट्री अफसर शांतनु के साथ वजीर के निकाह में शामिल होने के लिए जाती है पर निकाह के एक दिन दहशतगर्द बम विस्फोट कर देते हैं। "शादी के एक दिन सुबह दस बजे लाल चौक से कुछ आगे एक सरकारी बिल्डिंग में हुए बम विस्फोट और आगजनी से शहर का माहौल तनावग्रस्त हो गया था।" [७]

वजीर के निकाह के बाद अमिता उसे लेकर वसीम के घर जाती है, जहाँ उसे सादगी और किताबें ही किताबें दिखाई देती हैं। लेखिका संवेदनशील पाठक के घर वर्णन करते हुए लिखती है - " रूमी, इकबाल, फैज की शायरी से लेकर यासर अराफात, जिन्ना और नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी। भारतीय इतिहास से लेकर भारतीय संविधान। लेनिन, चेग्वेर। रूसो क्या-क्या वहाँ नहीं था! दो बड़े टायटल गाँधी दर्शन के भी थे।" [८]

पर वही वसीम जब बम विस्फोट जैसा समाज-विघातक काम करता है और स्वयं घायल हो जाता है। तब लेखिका वसीम जैसे युवाओं की याथार्थ स्थिति को संकेतित करती हैं कि कश्मीर के युवाओं को केवल आज़ाद कश्मीर के सपने दिखाए जाते हैं, जिसके लिए बम विस्फोट से लेकर आत्मघाती हमले तक किये जाते हैं। "इस लड़ाई से हमें क्या मिला? वह अपने घाव को और पीड़ा को महसूस करता है। " [९]

आस्था-अनास्था की बर्बर लड़ाइयों के बीच, कुचले जानेवाले मनुष्य को केंद्र में रखते हुए लेखिका ने उपन्यास लिखने का उद्देश्य को बताते हुए लिखा है कि "भाई मेरे अमन का रास्ता इधर से भी गुजरता है।"[१०]

उपन्यास में अनेक ऐसी घटनाएँ और प्रसंग चित्रित हैं जो सांकेतिक करते हैं कि विभाजन के बाद कश्मीर का असली हकदार या अधिकारी कौन है? स्थानीय समाज के विचार एक ओर तो और दूसरी ओर अलगाववादी गुटों की भूमिका है। इन सभी घटनाओं को अमिता के ब्लॉग, यास्मीन की डायरी, मानवी बम बनी जुलेखा का मिथकीय कोलाज, अलगाववादी नेता वसीम के आत्मालाप आदि के माध्यम से कश्मीर और कश्मीरियत की विदीर्ण व्यथा कथा के पृथक कोण, नए शैलीगत प्रयोग और ताजगी भरी भाषा के साथ अनोखे शिल्प से प्रस्तुत करती है।

संक्षेप में कहा जाये तो मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास 'शिगाफ' में सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में, व्यक्ति की गरीमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता आदि सभी संवैधानिक मूल्यों का चित्रण प्राप्त होता है।

सन्दर्भ :-

१. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. १३
२. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. १६
३. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. ११०
४. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. १६३
५. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. १६३
६. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. १६७
७. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. २०८
८. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. २११
९. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. २१६
१०. शिगाफ - मनीषा कुलश्रेष्ठ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण २१०, पृ. २२३

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www.aiirjournal.com